संख्या– 815 / 26–ब0प्र0–2010–4(205) / 2000

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 06 अक्टूबर, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता(जिला योजना) के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2281 / सक / शिक्षा / अनु0जा0पू0द0छा0 / 2010, दिनांक 10–9–2010 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–451 / 26–ब0प्र0–2010–4(205) / 2000, दिनांक 24–5–2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की "अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता(जिला योजना) के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 43.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 21,50,00,000 / – (रूपये इक्कीस करोड़ पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1– 951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों / प्रतिबंधों एवं छात्रवृत्ति योजना के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन किसी नई योजना मदों में नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि उक्त योजना के लिए नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा में जनपदवार, कक्षावार धनराशि का आवंटन किया जायेगा। इस हेतु निर्गत किये गये आवंटन की प्रतियां शासन / नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय / उपयोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0 / बैंक / डाकखानों / डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। पूर्व में स्वीकृत एवं स्वीकृत की जा रही सम्पूर्ण धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।